

(5)



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 1337-II-15

श्री मुकेश चामरानी
द्वारा आज दि 4-6-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कमला ~~कुमारी~~ ^{सिंह} बेवाम्भारतेन्दु सिंह
 2. भवानी सिंह पुत्र स्व. श्री भारतेन्दु सिंह
 3. राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भारतेन्दु सिंह
 4. गौरी सिंह पुत्री स्व. श्री भारतेन्दु सिंह
 5. प्रतिमा कुमारी पुत्री स्व. इन्द्रबहादुर सिंह
 6. मार्तण्ड सिंह पुत्र स्व. बी.पी. सिंह
 7. भावना सिंह पुत्री स्व. बी.पी. सिंह
- समस्त निवीसगण खैरहा तहसील सौहागपुर
जिला शहडोल (म.प्र.)

133
मुकेश चामरानी
4-6-15 एडवोकेट
ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

133
मुकेश चामरानी
4-6-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल म.प्र. द्वारा
प्र.कं. 01/बी-90(3)/2008-09 में पारित आदेश दिनांक
24.4.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है।

R 1337-II/15 -

25-8-15

गावडकर की कोर्ट
की सुनवाई मागवि खाता सिपडेन
द्वारा डिप्रोव्हा को मागे चढाना
पूर्व पाठाली अमान्यता
को कोर्ट ले पंजरा आचिपवरा
की अखिर कुमा सी कलप उच्य।

गावडकर अखि-के सिपडेन
या प्रकारा Not रिप्ले के बली
सुन पा समादा द्वारा माग
की प्रकारा दाखिले रिकार्ड ले।

अ
अखिर

चलाना नई
चाहते।
WZ

अखिर
25/8/15
अखिर अखिर
पंजरा उच्य